राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांकः– 5–10–2021

–:आदेश:–

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संबंध में जारी किये गये विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु सं. 1 (ix) व 2 (iii) को विलोपित एवं बिन्दु सं. 2 (ii) व 2 (v) निम्न प्रकार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है:–

बिन्दु सं. 2 :–

(ii) "कॉलोनियो में 25 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण (एक ईकाई व चार–दिवारी) होने, सुविधा क्षेत्र 30/40 प्रतिशत से कम होने पर प्रस्तुत प्लॉन व सर्वे में सृजित भूखण्डों का क्षैत्रफल कम किया जाकर सुविधा क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।"

(v) "ले–आउट प्लान के मध्य में राजकीय भूमि अवस्थित होने पर उसका चिन्हीकरण कर उक्त राजकीय भूमि में स्थित भूखण्डों की राशि राजकीय भूमि की दर से लेकर पट्टे दिये जावें परन्तु रास्ता, पार्क व सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रयोग होने वाली भूमि एवं जिस भूमिका स्वतंत्र उपयोग संभव हो, उसको छोडते हुए राशि ली जाकर पट्टे दिये जा सकेंगे"

नोट : उपरोक्त आदेशों एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत् जारी समस्त आदेशों में सड़क, पार्क, सार्वजनिक सुविधा (Facility) के क्षेत्र एवं सैटबैक के क्षेत्र का नियमन/आवंटन नहीं किया जायेगा।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner